



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2019-20

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर 492007

दूरभाष : 0771 - 4902939, 4902940

Email:cgpurc18@gmail.com, Website:www.cgpurc.in

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-2020

- टीप :- (1) छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) यथा संशोधित 17 मार्च 2004 की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित आयोग।
- (2) उक्त अधिनियम का निरसन एवं व्यावृत्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 44 दिनांक 25 अगस्त 2005 को किया गया।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग
छत्तीसगढ़ शासन



मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर,
रायपुर 492007 (छ.ग.)
दूरभाष नं. : 0771-4902939, 4902940
ई-मेल : cgpurc18@gmail.com
वेबसाइट : www.cgpurc.in

क्रमांक : 426 / ए.ए.आर.सी. / 166 / ए / 2005 / 15061

रायपुर, दिनांक : 18 / 09 / 2020

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन।

—०—

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 की कंडिका 22 में यह प्रावधान है, कि "आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष के क्रियाकलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा। नियम 2005 की कंडिका 23 (ग) में यह भी प्रावधान है कि आयोग के वार्षिक लेखा को चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा प्रमाणित करा कर उनका सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। कंडिका 22 एवं 23 की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की वार्षिक लेखा सम्परीक्षा की प्रतिलिपि संलग्न कर उच्च शिक्षा विभाग को आयोग द्वारा अग्रेषित किया जाना है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाना है।"

उक्त वैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे आयोग ने बैठक दिनांक 01 / 09 / 2020 को विचार कर अनुमोदन किया है।

आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय
विवरण
(डॉ. शिव वरण शुक्ल)
प्रभारी अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2019-2020

आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 22 के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें वर्ष भर के क्रिया-कलापों का पूर्ण लेखा-जोखा दिया गया है। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत है।

1. विनियामक आयोग - पदाधिकारी एवं अधिकारी :-

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 36 के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों के विनियमन के लिए राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जायेगा जो राज्य शासन, एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरणों के बीच अध्यापन, परीक्षा शोध एवं अन्य कार्यक्रमों में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तत्संगत शर्तें सुनिश्चित करने के लिए होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाये रखेगा। विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा तदानुसार आयोग निरन्तर कार्यरत है। आयोग में वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नानुसार पदाधिकारी एवं अधिकारी हैं :—

(1)	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	—	अध्यक्ष
(2)	डॉ. शिव वरण शुक्ल	—	सदस्य (अकादमिक)
(3)	श्रीमती रेणु देशमुख	—	सदस्य (प्रशासनिक)
(4)	श्री के. के. चंद्राकर	—	सचिव

2. आयोग कार्यालय में उक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल निम्नानुसार है :-

- (1) डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार दिनांक 01 / 04 / 2017 को ग्रहण किया है एवं उनका कार्यकाल दिनांक 31 / 03 / 2020 को समाप्त हुआ। डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला द्वारा दिनांक 31 / 03 / 2020 को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉ. शिव वरण शुक्ल, सदस्य (अकादमिक) को अपना कार्यभार सौंपा गया है।
- (2) डॉ. शिव वरण शुक्ल ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सदस्य (अकादमिक) पद का कार्यभार दिनांक 06 / 10 / 2018 को ग्रहण किया है।
- (3) श्रीमती रेणु देशमुख ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सदस्य (प्रशासनिक) पद का कार्यभार दिनांक 01 / 12 / 2018 को ग्रहण किया है।
- (4) श्री के. के. चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सचिव पद का कार्यभार दिनांक 06 / 03 / 2019 को ग्रहण किया है।

3. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कर्तव्य :-

- (1) निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और शोध के लिए मानक स्तर बनाए रखने के लिए ऐसे आवश्यक कदम उठाना जो वह उचित समझें।
- (2) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय को कितना शुल्क और अन्य राशि एकत्रित करने का अधिकार हो ताकि वे उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की लागत को वसूल कर सके और साथ में उनके पास कुछ तर्कसंगत राशि बच भी सके, जिसका उपयोग वे संपत्ति के संधारण और आगे के विस्तार के लिये कर सकें।
- (3) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त शिक्षकों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक अभिकरणों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं हों।
- (4) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के अनुसार हुई है तथा विश्वविद्यालय की परिनियमों, अध्यादेशों के सुसंगत है।
- (5) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के साथ शोषण न हो और उनसे शुल्क वसूल करने के लिए गलत तरीके न अपनाए जाए।
- (6) निजी विश्वविद्यालय के विघटन संबंधी सभी मामले में कार्यवाही करें, जिसमें विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन करने एवं उपाधि देने का कार्यक्रम शामिल है, इस कार्य को किसी अन्य विश्वविद्यालय को इस प्रकार सौंपेंगे ताकि विद्यार्थियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो विद्यार्थियों के लिए किये जाने वाले इन सब कार्यों पर तथा साथ में विश्वविद्यालयों के विघटन पर होने वाले व्यय को विन्यास निधि एवं / सामान्य निधि से पूरा किया जाएगा।
- (7) निजी विश्वविद्यालय के परामर्श से राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित अध्ययन केन्द्रों का नियमन करना।

4. विनियामक आयोग की बैठकें :-

वर्ष 2019–2020 में विनियामक आयोग की 07 बैठकें निम्नांकित तिथियों में आयोजित की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	बैठक क्रमांक	बैठक दिनांक
1	106 / 2019	30 / 05 / 2019
2	107 / 2019	03 / 06 / 2019
3	108 / 2019	08 / 07 / 2019
4	109 / 2019	03 / 09 / 2019
5	110 / 2019	30 / 11 / 2019
6	111 / 2020	06 / 01 / 2020
7	112 / 2020	25 / 02 / 2020

5. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश दिनांक 09 / 05 / 2019 याचिका (सी.) क्रमांक 1601 / 2019 के संबंध में आगामी आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 106 / 2019, दिनांक 30 / 05 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश दिनांक 09 / 05 / 2019 याचिका (सी.) क्रमांक 1601 / 2019 के संबंध में प्रकरण का परीक्षण करने हेतु चार सदस्यीय समिति का गठन आयोग द्वारा किया गया है। साथ ही प्रकरण पर अभी तक की गयी कार्यवाही से सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया तथा निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता के माध्यम से आयोग का पक्ष माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रस्तुत किया जाए।

6. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित नियम 2014 एवं 2017 में संशोधन हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव भेजने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 106 / 2019, दिनांक 30 / 05 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित नियम 2014 एवं 2017 की क्रमशः कण्डिका 14(10), 14(13), 14(19) एवं 17(ग) में संशोधन हेतु प्रकरण पर विचार-विमर्श किया गया तथा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि संशोधन हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाए।

7. विनियामक आयोग कार्यालय में विभिन्न प्रायोजक निकायों द्वारा जमा विन्यास निधि पर वित्तीय वर्ष 2018-19 की ब्याज़ राशि का भुगतान करने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 106 / 2019, दिनांक 30 / 05 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि आयोग कार्यालय में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रायोजक निकायों द्वारा विन्यास निधि की राशि जमा की गयी है। प्रायोजक निकाय द्वारा जमा राशि पर विचार-विमर्श किया गया तथा संलग्नक-02 के अनुसार ब्याज़ राशि में नियमानुसार आयकर की कटौती कर ब्याज राशि को विमुक्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से माननीय सदस्यों द्वारा लिया गया है, साथ ही जिन विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों से ली जा रही शुल्क राशि का 1 प्रतिशत आयोग कार्यालय में समय पर जमा नहीं किया जा रहा है, उन विश्वविद्यालयों पर अधिनियम-2005 की धारा 12 के अनुसार कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया गया।

8. आयोग कार्यालय हेतु नया रायपुर में आबंटित बिल्टअप स्पेस की अंतिम किश्त के रूप में अटल नगर डेवलपमेंट अथोरिटी नया रायपुर को रूपये 61,03,203/- किये गये भुगतान की पुष्टि के संबंध में।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 106 / 2019, दिनांक 30 / 05 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि आयोग कार्यालय हेतु आबंटित बिल्टअप स्पेस की अंतिम किश्त का भुगतान रूपये 61,03,203/- दिनांक 20 / 02 / 2019 को चेक क्रमांक 33217285 के माध्यम से अटल नगर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी नया रायपुर को किया गया है। इसकी पुष्टि सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से की गयी है तथा प्रकरण के संबंध में आगामी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सचिव को अधिकृत / नामांकित करने का निर्णय लिया गया है।

9. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन सूची के संबंध में आयोग की चयन समिति से प्राप्त कार्यवाही विवरण दिनांक 01 / 06 / 2019 के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 107 / 2019, दिनांक 03 / 06 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा गठित चयन समिति से प्राप्त कार्यवाही विवरण दिनांक 01 / 06 / 2019 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :—

“बैठक में कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से प्राप्त पत्र क्रमांक व्यापम / 2019 / 700, दिनांक 07 / 03 / 2019 के माध्यम से संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018 के परिणाम के संबंध में चयन समिति की पिछली बैठक दिनांक 29 / 05 / 2019 में लिये गये निर्णय अनुसार व्यापम द्वारा चयनित परीक्षार्थी श्री विकास वर्मा, पिता श्री कृष्ण कुमार वर्मा, ग्राम-कांपा, पोस्ट-बेलतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) स्वयं उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण-पत्रों का मिलान किया गया। व्यापम द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन सूची के अनुसार परीक्षार्थी श्री विकास वर्मा का चयन डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद के लिये किया गया है। अतः चयन समिति श्री विकास वर्मा को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु अनुशंसा करती है।”

10. नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 24 में एन.आर.ए.एन.व्ही.पी. द्वारा निर्मित किये जा रहे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आयोग को आबंटित बिल्टप स्पेस के अतिरिक्त उपलब्ध स्पेस को क्रय करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 108 / 2019, दिनांक 08 / 07 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 24 में एन.आर.ए.एन.व्ही.पी. द्वारा निर्मित किये जा रहे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आयोग को आबंटित बिल्टप स्पेस के अतिरिक्त उपलब्ध स्पेस को क्रय करने हेतु प्रकरण को आयोग की बैठक में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण के संबंध में लेख है कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को अटल नगर के सेक्टर-24 में निर्मित किये गये ऑफिस कॉम्प्लेक्स के प्लॉट नं. 7, ब्लॉक (ए) के ग्राउण्ड फ्लोर में 9163.97 वर्गफीट सेलेबल एरिया (कार्पेट एरिया 6545.69 वर्गफीट) कुल प्रीमियम रूपये 4,06,88,027/- पर आबंटित किया गया है, जिसका आधिपत्य दिनांक 21 / 06 / 2019 को आयोग को दिया गया है। आबंटित बिल्टप स्पेस 9163.97 वर्गफीट में आयोग के उपयोग हेतु 6545.69 वर्गफीट कार्पेट एरिया है।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र क्रमांक 4641 / 6(2) / 820 / सम्पदा / एनआरएएनव्हीपी / 2014, दिनांक 27 / 06 / 2019 के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध करायी गयी है कि आयोग के बिल्टप स्पेस से लगा हुआ एरिया 251.00 वर्गमीटर (2701.764 वर्गफुट) कार्पेट एरिया, जिसका दर रूपये 7,440 / – प्रति वर्गफुट है। 2701.64 वर्गफुट कार्पेट एरिया का कुल प्रीमियम रूपये 2,01,01,124 / – होता है। यह दर दिनांक 31 / 05 / 2020 तक लागू रहेगी। बिल्टप स्पेस सुपर स्ट्रक्चर का विक्रय किया जायेगा तथा बिल्टप स्पेस के अनुपातिक भू-खण्ड के विभक्त भाग को पट्टे पर हस्तांतरित किया जायेगा। साथ ही क्रय करने की सहमति उपलब्ध कराने हेतु भी लिखा गया है।

प्रकरण पर विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर-24 में एन.आर.ए.एन.व्ही.पी. द्वारा निर्मित किये जा रहे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आबंटित बिल्टअप स्पेस के अतिरिक्त स्पेस 251.00 वर्गमीटर (2701.764 वर्गफुट) कार्पेट एरिया जिसका कुल प्रीमियम 2,01,01,124 / – होता है, को भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए क्रय किया जाए तथा पूर्व से आबंटित स्पेस के साथ नवीन बिल्टअप स्पेस को शामिल करते हुए पूरे एरिया का साज—सज्जा भी नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से कराया जावें।

11. राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आयोग कार्यालय में जमा की जा रही एक प्रतिशत शुल्क की राशि का विवरण तैयार करने के साथ ही शास्त्रिक ब्याज़ की गणना कराये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 109 / 2019, दिनांक 03 / 09 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आयोग कार्यालय में जमा की जा रही एक प्रतिशत शुल्क की राशि का विवरण तैयार करने के साथ ही शास्त्रिक ब्याज़ की गणना कराये जाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि पूर्व की भाँति एक प्रतिशत शुल्क राशि का विवरण तैयार करने के साथ शास्त्रिक ब्याज़ राशि की गणना करा ली जाए।

12. आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, ग्राम-उपरवारा, जिला-रायपुर, द्वारा बी.एस.सी. (एम.एल.टी.) एवं बी.ऑप्टोमेट्री पाठ्यक्रमों को बिना पूर्वानुमति के संचालित किये जाने के संबंध में जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 110 / 2019, दिनांक 30 / 11 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि आई.टी.एम. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से प्राप्त शिकायती आवेदन पत्र दिनांक 27 / 07 / 2019 के अनुसार बी.एस.सी. (एम.एल.टी.) एवं बी.ऑप्टोमेट्री पाठ्यक्रमों का संचालन आई.टी.एम. विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015 से किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों को पूरा कर चुके विद्यार्थियों का पैरा मेडिकल काउंसिल में पंजीयन नहीं हो रहा है, जिससे शासकीय सेवा से ये विद्यार्थी वंचित हो रहे हैं, का उल्लेख किया गया है।

इस संबंध में आयोग कार्यालय द्वारा कुलसचिव आई.टी.एम. विश्वविद्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक 29/07/2019 को लिखा गया। कुलसचिव आई.टी.एम. विश्वविद्यालय द्वारा पत्र दिनांक 06/08/2019 के माध्यम से आयोग कार्यालय को जानकारी उपलब्ध करायी गयी। विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण की जांच हेतु दो सदस्यीय जांच समिति का गठन अयोग कार्यालय द्वारा किया गया। जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

प्रकरण के संबंध में आई.टी.एम. विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. आर. नेसामूर्ति को शिकायती पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के साथ-साथ आयोग कार्यालय द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र क्रमांक 10422, दिनांक 23/08/2019 के संबंध में स्पष्ट जानकारी पुष्टिजनक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु जांच समिति की प्रथम बैठक दिनांक 17/10/2019 में निर्देशित किया गया था। परंतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रतिवेदन/जानकारी दिनांक 24/10/2019 को आयोजित द्वितीय बैठक में उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

प्रकरण के संबंध में आयोग कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आई.टी.एम. विश्वविद्यालय के बी.एस.सी. (एम.एल.टी) एवं बी. ऑप्टोमेट्री पाठ्यक्रमों के अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित नहीं हैं। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 7(4) (ड) में प्रावधानित है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परिनियम, अध्यादेशों की स्वीकृति के बिना प्रवेश तथा कक्षाओं के संचालन का कार्य प्रारंभ नहीं किया जावेगा। इस संबंध में अधिनियम-2005 की सहपठित धारा 35 भी दृष्टव्य है, जिसमें स्पष्टतः उल्लेख है कि सभी परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम शासन के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् ही प्रभावशील होंगे। प्रथम दृष्टया आई.टी.एम. विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 7 (4) (ड) एवं 35 का उल्लंघन किया गया है।

विद्यार्थियों से प्राप्त शिकायत सही पायी गई है तथा जांच समिति आई.टी.एम. विश्वविद्यालय के विरुद्ध अधिनियम-2005 की धारा 41(1) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु आयोग को अनुशंसा करती है।

जांच समिति से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जांच प्रतिवेदन को राज्य शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाए।

13. नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-24 में निर्मित ऑफिस कॉम्प्लेक्स के प्लॉट नंबर-7, ब्लॉक-ए के ग्राउंड फ्लोर में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग कार्यालय में आबंटित कारपेट एरिया के साज-सज्जा के संबंध में प्राधिकरण से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 26/11/2019 के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 110/2019, दिनांक 30/11/2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि आयोग के पत्र क्रमांक 1119, दिनांक 22/10/2019 के संदर्भ में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, सेक्टर-19 अटल नगर द्वारा पत्र क्रमांक 1292/CGPURC-OC/E-in-C/EEC1/NRSNRP/2019-20, दिनांक 26/11/2019 के माध्यम से यह

जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग कार्यालय को आबंटित कारपेट एरिया के साज-सज्जा का कार्य डिपोजिट वर्क के तहत नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से कराने के लिए Furnishing Layout Plane एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है।

तत्संबंध में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण डिपोजिट वर्क Term & Condition, वांछित Furnishing Layout Plane एवं राशि रु. 4.57 करोड़ प्राक्कलन आपके द्वारा आवश्यक स्वीकृति एवं Deposit Work-T&C के अनुसार राशि प्रदान करने हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्राक्कलन में लिया गया दर विगत वर्ष के न्यूनतम निविदा मूल्य के आधार पर लिया गया है। वास्तविक लागत नये निविदाओं के आधार पर आयेगा, जिसके अनुसार वास्तविक लागत नवा रायपुर अटल नगर को आयोग द्वारा देय होगा।

प्रस्ताव में यह भी उल्लेख है कि आवश्यक स्वीकृति एवं राशि प्राप्त होने के उपरांत ही नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह कार्य संपादित किया जावेगा।

उक्त प्रस्ताव के अनुसार डिपोजिट वर्क के तहत कार्य कराने पर लगभग 4.57 करोड़ रूपये के व्यय भार की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस राशि का 33.33% भुगतान करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किये जाने का उल्लेख किया गया है।

अतः सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के अनुसार व्यय होने वाली राशि लगभग रूपये 4.57 करोड़ का 33.33% लगभग राशि रूपये 1.52 करोड़ का भुगतान डिपोजिट वर्क के अंतर्गत नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को किया जावे।

- 14. आयकर विभाग से आयकर अधिनियम-1961 की धारा 156 के अंतर्गत आयकर निर्धारण हेतु पारित आदेश दिनांक 16 / 12 / 2019 के संबंध में बत्रा दीपक एण्ड ऐसोसिएट्स, रायपुर से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 28 / 12 / 2019 पर विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 111 / 2020, दिनांक 06 / 01 / 2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण पर आयोग की बैठक में विचार-विमर्श किया गया तथा आयकर अधिनियम-1961 की धारा 156 के अंतर्गत आयकर निर्धारण हेतु पारित आदेश दिनांक 16 / 12 / 2019 के संबंध में बत्रा दीपक एण्ड ऐसोसिएट्स, रायपुर से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 28 / 12 / 2019 का अनुमोदन करते हुए आगामी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु बत्रा दीपक एण्ड ऐसोसिएट्स, रायपुर को अधिकृत करने का निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

- 15. राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के शुल्क निर्धारण की समीक्षा हेतु गठित परीक्षण समिति से निजी विश्वविद्यालयों की शुल्क की समीक्षा के उपरांत प्राप्त प्रतिवेदनों के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 111 / 2020, दिनांक 06 / 01 / 2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के सत्र 2019-20 के लिए शुल्क निर्धारण की समीक्षा हेतु समिति का गठन आयोग के पत्र क्रमांक 1033 / विविध / 171(Y) /

2019 / 11011, दिनांक 01 / 10 / 2019 के माध्यम से किया गया। समिति द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 36(8)(ख) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा की लागत (Cost of Education) की गणना कार्यकारी सिद्धांतों के तहत राज्य में संचालित 11 निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गयी।

अतः समिति से प्राप्त प्रतिवेदनों में की गयी अनुशंसा के आधार पर इन निजी विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क अनुमोदित किया गया है।

16. आयोग के सचिव के लिए वाहन क्रय करने की अनुमति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक एफ. 5-8 / 2017 / 38-2, दिनांक 11 / 12 / 2019 के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 111 / 2020, दिनांक 06 / 01 / 2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के उक्त आदेश के माध्यम से राज्य शासन द्वारा आयोग के सचिव के लिए निर्धारित सीमा में भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत कार क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य शासन से आदेश प्राप्त होने के उपरांत कार (Maruti Suzuki Desire-VXI) का कोटेशन जेम रेट के अंतर्गत प्राप्त किया गया है। प्राप्त कोटेशन पर विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन की स्वीकृति के अनुसार कार क्रय कर लिया जाए।

17. आयोग कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखा पुस्तिकाओं के अंकेक्षण का कार्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 112 / 2020, दिनांक 25 / 02 / 2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि आयोग कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखा पुस्तिकाओं का अंकेक्षण पूर्व वित्तीय वर्ष की भाँति चार्टर्ड अकाउंटेंट मेसर्स दीपक बत्रा एण्ड एसोसिएट्स (चार्टर्ड अकाउंटेंट), रायपुर से कराने का निर्णय माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से लिया गया।

18. अध्यादेशों का अनुमोदन :-

(1) एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित प्रथम परिनियम को अनुमोदित किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित प्रथम परिनियम को आयोग की बैठक क्रमांक 106 / 2019, दिनांक 30 / 05 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित प्रथम परिनियम पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति

से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की पूर्व में राजपत्र में प्रकाशित प्रथम परिनियम की अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-6 / 2015 / 38-2, दिनांक 07 / 02 / 2019 को निरस्त करने के साथ ही संशोधित प्रथम परिनियम को अनुमोदित किया जाए तथा राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिए भेजा जाए।

- (2) **डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 124 से 127 तक को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।**

डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 124 से 127 तक को आयोग की बैठक क्रमांक 108 / 2019, दिनांक 08 / 07 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 124 से 127 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 124 से 127 को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाए।

- (3) **कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम हेतु अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 79 से 108 तक को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।**

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम हेतु अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 79 से 108 तक को आयोग की बैठक क्रमांक 109 / 2019 दिनांक 03 / 09 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम हेतु अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 79 से 108 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम हेतु अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 79 से 108 को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये अग्रेषित किया जाए।

- (4) **आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद द्वारा प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 59 से 63 को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।**

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद द्वारा प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 59 से 63 को आयोग की बैठक क्रमांक 109 / 2019, दिनांक 03 / 09 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद द्वारा प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 59 से 63 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने

सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 59 से 63 को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये अग्रेषित किया जाए।

- (5) एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 36 को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 36 को आयोग की बैठक क्रमांक 109 / 2019, दिनांक 03 / 09 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 36 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 36 को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये अग्रेषित किया जाए।

- (6) देव संस्कृति विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 39 को राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 27 / 07 / 2019 के संबंध में।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 39 को आयोग की बैठक क्रमांक 109 / 2019, दिनांक 03 / 09 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा राज्य शासन की परीक्षण समिति के सुझाव अनुसार संशोधित कर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 39 को राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 27 / 07 / 2019 का सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

- (7) महर्षि विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 29 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 82 को राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 27 / 07 / 2019 के संबंध में।

महर्षि विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 29 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 82 को आयोग की बैठक क्रमांक 109 / 2019, दिनांक 03 / 09 / 2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

महर्षि विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा राज्य शासन की परीक्षण समिति के सुझाव अनुसार संशोधित कर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 29 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 82 को राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 28 / 08 / 2019 का सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

19. राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा वर्ष 2019-20 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज़ राशि को आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में राशि को जमा किया गया है। राज्य की संचित निधि में जमा किये गये शुल्क राशि का विवरण :-

सं. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	एक प्रतिशत शुल्क राशि (रुपये में)	शास्त्रिक ब्याज़ राशि (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में)
1	डॉ. सी. व्ही.रमन विश्वविद्यालय	982356	853669	1836025/-
2	मैट्स विश्वविद्यालय	2724767	135311	2860078/-
3	कलिंगा विश्वविद्यालय	4644393	21096	4665489/-
4	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय	135290	-	135290/-
5	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय	644340	34482	678822/-
6	एमिटी विश्वविद्यालय	1481543	63847	1545390/-
7	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय	1583542	1497	1585039/-
8	आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय	586582	39701	626283/-
9	ए.ए.एफ.टी. यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स	257164	6068	263232/-
10	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय	109694	16707	126401/-
11	देव संस्कृति विश्वविद्यालय	10688	76	10764/-
कुल राशि				14332813

20. **पूर्ववर्ती / प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही**

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आयोग को प्राप्त हुईं। प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित प्रायोजक निकायों को पत्र द्वारा शिकायतों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही विचाराधीन अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समय पर आयोग कार्यालय द्वारा आवेदकों को जानकारी उपलब्ध करायी गई है।

21. **निजी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में :-**

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत स्थापित 13 निजी विश्वविद्यालयों में संचालित 11 निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण समय-समय पर आयोग कार्यालय द्वारा किया गया। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को आयोग कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है।

22. **छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों का विवरण :-**

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत वर्ष 2006 से विचाराधीन अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य में 13 निजी विश्वविद्यालय स्थापित व संचालित हैं, इनका विवरण निम्नानुसार है :-

सं. क्र.	निजी विश्वविद्यालयों के नाम	निजी विश्वविद्यालयों का पता	स्थापना वर्ष/दिनांक
1	डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय	करमी रोड कोटा जिला—बिलासपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर, 2006
2	मैट्स विश्वविद्यालय	ग्राम—गुल्लु, तह.—आरंग, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर, 2006
3	कलिंगा विश्वविद्यालय	ग्राम—कोटनी, पलौद, तह.—आरंग, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 25 मार्च, 2011
4	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय	ग्राम—चोरहा, तह.—धमधा, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 25 मार्च, 2011
5	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय	ग्राम—उपरवारा, तह.—अभनपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 फरवरी, 2012
6	एमिटी विश्वविद्यालय	ग्राम—मांठ, तह.—तिल्दा, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 2014
7	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय	ओ.पी. जिंदल नॉलेज पार्क, ग्राम—पुंजीपथरा, तह.—घरघोड़ा, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 2014
8	आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय	ग्राम—छुरा, तह.—छुरा, जिला—गरियाबंद (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 09 सितम्बर, 2016
9	ए.ए.एफ.टी. यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स	ग्राम—मांठ, तह.—तिल्दा, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 2018
10	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय	शदाणी दरबार के पास, धनेली, पोस्ट—माना, धमतरी रोड, तहसील एवं जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 2018
11	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी	ग्राम—मंगला, तहसील एवं जिला— बिलासपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 2018
12	के. के. मोदी यूनिवर्सिटी	ग्राम—महमरा, जलबांधा रोड, तहसील एवं जिला—दुर्ग, (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 08 अगस्त, 2018
13	देव संस्कृति विश्वविद्यालय	ग्राम—सांकरा, कुम्हारी जिला—दुर्ग, (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 08 अगस्त, 2018

23. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में अन्य जानकारी :-

1. डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

	निजी विश्वविद्यालय का नाम	डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय
01	पता	करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.cvru.ac.in
	ई-मेल आई.डी.	info@cvru.ac.in
	दूरभाष	07753-253801, 07753-253728
02	प्रायोजक निकाय का नाम	आईसेक्ट
	पता	स्कोप कैम्पस, एन .एच.-12, मिसरौद, होशंगाबाद रोड, भोपाल-47 (म.प्र.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	B+
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष - 03 नवम्बर, 2006
05	कुल भूमि	60 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	514471 वर्गफुट
07	सत्र 2019-20 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	5218

2. मैट्स विश्वविद्यालय, ग्राम-गुल्लु, आरंग-खरोरा हाईवे, रायपुर (छ.ग.)

	निजी विश्वविद्यालय का नाम	मैट्स विश्वविद्यालय
01	पता	ग्राम-गुल्लु, आरंग-खरोरा हाईवे, रायपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.matsuniversity.ac.in
	ई-मेल आई.डी.	info@matsuniversity.ac.in
	दूरभाष	0771-4078994 / 95 / 96 / 98
02	प्रायोजक निकाय का नाम	श्री भगवान महावीर जैन एजुकेशनल एंड कल्यारल सोसायटी
	पता	मैट्स विश्वविद्यालय, पगारिया कॉम्प्लेक्स, न्यू बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	B++
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष - 03 नवम्बर, 2006
05	कुल भूमि	39 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	412700 वर्गफुट
07.	सत्र 2019-20 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	1580

3. कलिंगा विश्वविद्यालय, ग्राम-कोटनी पलौद, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	कलिंगा विश्वविद्यालय
	पता	कोटनी, मंत्रालय के निकट, नवा रायपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.kalingauniversity.ac.in
	ई-मेल आई.डी.	registrar@kalingauniversity.ac.in
	दूरभाष	9303097043
02	प्रायोजक निकाय का नाम	भगवान श्री बालासाई एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसायटी
	पता	कलिंगा विश्वविद्यालय, कोटनी, मंत्रालय के निकट, नवा रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	नैक मूल्यांकन हेतु आवेदन किया जा चुका है, मूल्यांकन हेतु निरीक्षण नहीं हुआ है।
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 25 मार्च, 2011
05	कुल भूमि	27.82 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	6.5 लाख वर्गफुट
07	सत्र 2019–20 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	2075

4. आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, कुम्हारी, तह.-चोरहा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय
	पता	एन.एच.-53, रायपुर-भिलाई रोड, किमी. स्टोन-20, पो- कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.iuraipur.edu.in
	ई-मेल आई.डी.	registrar@iuraipur.edu.in
	दूरभाष	09111005504
02	प्रायोजक निकाय का नाम	द आई.सी.एफ.ए.आई. सोसाइटी
	पता	रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	अभी नैक द्वारा प्रत्यायन नहीं लिया गया है।
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 25 मार्च, 2011
05	कुल भूमि	30.43 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	66473.67 वर्गफुट
07	सत्र 2019–20 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	161

5. आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, ग्राम-उपरवारा, अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय
	पता	नवा रायपुर अटल नगर, ग्राम-उपरवारा, रायपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.itmuniversity.org
	ई-मेल आई.डी.	info@itmuniversity.org
02	दूरभाष	0771-6640418
	प्रायोजक निकाय का नाम	आई.टी.एम. सोसाइटी
03	पता	सी.-252, ए, सेक्टर-6ए, वल्लभ नगर, रायपुर (छ.ग.)
04	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	प्रक्रियाधीन
05	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष - 03 फरवरी, 2012
06	कुल भूमि	25 एकड़
07	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	199627 वर्गफुट
	सत्र 2019-20 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	516

6. ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, ओ.पी. जिंदल नॉलेज पार्क, पूंजीपथरा, रायगढ़ (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय
	पता	ओ.पी. जिंदल नॉलेज पार्क, पूंजीपथरा, रायगढ़ (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.opju.ac.in
	ई-मेल आई.डी.	info@opju.ac.in
02	दूरभाष	0776-2304000
	प्रायोजक निकाय का नाम	जिंदल एजुकेशन एंड वेलफेर सोसाइटी
03	पता	जिंदल स्टील लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नं. 16, खरसिया रोड, रायगढ़ (छ.ग.)
04	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	2020-21 में पात्र होगा।
05	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष - 25 मार्च, 2011
06	कुल भूमि	59.32 एकड़
07	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	312250.28 वर्गफुट
	सत्र 2019-20 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	1179

7. एमिटी विश्वविद्यालय, ग्राम-मांठ, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.)

	निजी विश्वविद्यालय का नाम	एमिटी विश्वविद्यालय
01	पता	ग्राम-मांठ, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.amity.edu/raipur
	ई-मेल आई.डी.	registrarauc@rpr.amity.edu.in
	दूरभाष	7773010791
02	प्रायोजक निकाय का नाम	रितनंद बलदेव इंटरनेशनल एजुकेशन फाउंडेशन
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	लागू नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 21 अगस्त, 2014
05.	कुल भूमि	53.67 एकड़
06.	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	325000 वर्गफुट
07	सत्र 2019–20 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	659

8. आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, नवापारा (कोसमी), तह.-छुरा, गरियाबंद (छ.ग.)

	निजी विश्वविद्यालय का नाम	आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय
01	पता	नवापारा(कोसमी), तह .-छुरा, गरियाबंद (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.isbmuniversity.edu.in
	ई-मेल आई.डी.	info@isbmuniversity.edu.in
	दूरभाष	9109333333
02	प्रायोजक निकाय का नाम	अल्फा फाउन्डेशन
	पता	एम.-1, पंचल उद्योग नगर, सिंडीकेट बैंक के पास, थाणे-401105 (महाराष्ट्र)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	प्रयासरत्
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 09 सितंबर, 2016
05	कुल भूमि	33 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	75000 वर्गफुट
07	सत्र 2019–20 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	3226

9. ए.ए.एफ.टी. यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स, ग्राम-मांठ, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम पता वेबसाईट ई-मेल आई.डी. दूरभाष	ए.ए.एफ.टी. विश्वविद्यालय ग्राम-मांठ, खरोरा, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.) www.aaftr.edu.in registrar@aaftr.edu.in 8586972071
02	प्रायोजक निकाय का नाम पता	सोसाइटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स ग्राम-मांठ, खरोरा, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	प्रयासरत्
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 17 अप्रैल, 2018
05	कुल भूमि	27.14 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	27000 वर्गफुट
07	सत्र 2019–20 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	270

10. श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना, न्यू धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम पता वेबसाईट ई-मेल आई.डी. दूरभाष	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना, न्यू धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.) www.srurajpur.ac.in info.srur@gmail.com 0771–2473300
02	प्रायोजक निकाय का नाम पता	श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 17 अप्रैल, 2018
05	कुल भूमि	40 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	4.50 लाख वर्गफुट
07	सत्र 2019–20 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	1704

11. महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मंगला, बिलासपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
	पता	मंगला, बिलासपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.mumt.com
	ई-मेल आई.डी.	mumt.registrar1@gmail.com
02	दूरभाष	9893063968
	प्रायोजक निकाय का नाम	महर्षि शिक्षा संस्थान
	पता	ई-5, 5वी मंजिल, हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली
	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	नहीं
	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 17 अप्रैल, 2018
	कुल भूमि	58.38 एकड़
	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	1,16,126 वर्गफुट
07	सत्र 2019–20 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	प्रथम सत्र 2020–21

12. के.के. मोदी विश्वविद्यालय, महमरा जलबंधा, रसमड़ा रोड, दुर्ग (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	के.के. मोदी विश्वविद्यालय
	पता	महमरा जलबंधा, रसमड़ा रोड, दुर्ग (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.kkmu.edu.in
	ई-मेल आई.डी.	info@kkmu.edu.in
02	दूरभाष	7999449205
	प्रायोजक निकाय का नाम	मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसाइटी
	पता	9-फरिश्ता कॉम्प्लैक्स, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)
	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	योग्यता पूर्ण होने के पश्चात्
	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 08 अगस्त, 2018
	कुल भूमि	25.00 एकड़
	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	27255 वर्गफुट

13. देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम-सांकरा, कुम्हरी, पोस्ट-कपसदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	देव संस्कृति विश्वविद्यालय
	पता	ग्राम-सांकरा, कुम्हरी, पोस्ट-कपसदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
	ई-मेल आई.डी.	dsvvcgsankara18@gmail.com
02	प्रायोजक निकाय का नाम	श्री वेदमाता गायत्री द्रस्ट
	पता	शांतिकुंज हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष - 08 अगस्त, 2018
05	कुल भूमि	26 एकड़ 75 डिसमिल
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	01 लाख वर्गफुट
07	सत्र 2019-20 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	36

24. न्यायालयीन प्रकरण :-

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों/स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर की गई है, जिनमें विनियामक आयोग को एक पक्षकार बनाया गया है। विनियामक आयोग द्वारा प्रत्येक प्रकरण में अधिवक्ता से सम्पर्क कर आयोग का पक्ष रखते हुए निम्नानुसार समस्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की गई। वर्ष 2019-20 में न्यायालयीन प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है:-


न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति


रिट पिटिशन/ कम्प्लेन्ट नं.	माननीय उच्च न्यायालय/उपभोक्ता फोरम का नाम	वादी/प्रतिवादी	स्थिरांक
रिट पिटिशन (सी.) नं. 8979 / 2012 (एस.)	माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश बेंच, ग्वालियर	बनवारी लाल त्यागी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन (सी.) नं. 13042 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली	नितिन कुमार दुबे विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन (सी.) नं. 2971 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	राजकिशोर वर्मा विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।


रिट पिटिशन (सी) नं. 2960 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	करुण दास मानिकपुरी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन (सी) नं. 2976 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	श्रवण कुमार हलवाई विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 2997 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	किशोर कुमार पण्डा विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 2593 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	सोनिया पटेल विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 3153 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	डॉ. सी.क्षी. रमन विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 3141 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	डॉ. सी.क्षी. रमन विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 2269 / 2019	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 1601 / 2019	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।

25. लेखाओं पर प्रतिवेदन के संबंध में :-

विचाराधीन अवधि के लेखाओं की सम्परीक्षा मेसर्स बत्रा दीपक एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंट्स, रायपुर द्वारा की गई है, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।


(के.के. चन्द्राकर)
सचिव


(डॉ. शिववरण शुक्ल)
सदस्य (अका.) / प्रभारी अध्यक्ष


(श्रीमती रेणु देशमुख)
सदस्य (प्रशा.)

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA
VINAYAMAK AYOG**

**AUDITED FINANCIAL STATEMENT
FOR FINANCIAL YEAR
2019-20**

**BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT**

Batra Deepak & Associates
Chartered Accountants

Office No.28, 2nd Floor, Ashoka Plaza Complex
(Near Ashoka Ratan, Khamardih), Vidhan Sabha Road, RAIPUR (Chhattisgarh) 492001
Phone: 0771-2281180, 81, 82; Fax: 0771-2281183
E-mail: deepakbda@gmail.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Members

Chhattisgarh Niji Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog),
Raipur (Chhattisgarh)

We have audited the attached Balance Sheet of **CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG (AYOG)** as at 31st March 2020 and the Income & Expenditure Account of the Ayog for the year ended on that date. Our report is as under:

- (a) These financial statements are the responsibility of the Entity's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, based on our audit.
- (b) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- (c) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (d) In our opinion, proper books of account have been prepared, so far as it appears from our examination of such books.
- (e) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account referred to in this report are in agreement with the books of accounts.
- (f) Our audit observations are as under:
 - i). As per clause 9(b) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules 2005, AYOG has to deposit the fees within 15 days of receipt from the Universities to the Government but we noticed following instances where amount has been deposited with delay.



S.NO	NAME OF UNIVERSITY	DATE OF RECEIPT	DEU DATE OF DEPOSIT	DATE OF DEPOSIT	DELAY IN DAYS	AMOUNT
1	AAFT University	12.03.2020	27.03.2020	01.05.2020	35	10,937/-
Total						10,937/-

The fees from Universities are being received through cheque / Demand Draft. It is observed with reference to date of cheque / Demand Draft that there are instances of significant delay in getting the funds credited to the account. The suggestion to get remittance through online facility such as NEFT, RTGS etc. has not been implemented.

- ii). As per clause 9(a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and operation) Rules 2005 read with section 12(a) of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and operation) Act 2005, affiliated universities have to deposit an amount of 1% of fees received from their students within 15 days of following month with AYOG however we observed that this stipulation is not regularly followed by affiliated universities, details as under:-

S. No.	Particulars	For the month	Due to be received by	Actually received	Amount
1.	AAFT University	April-2019 to October-2019	By the 15 th of the following month.	12.11.2019	1,25,637
		November-2019 to January-2020	By the 15 th of the following month.	12.02.2020	1,20,590
2.	AMITY University	February-2018 to June-2019	By the 15 th of the following month.	31.07.2019	5,82,629
3.	KALINGA University	July-2019 to August-2019	By the 15 th of the following month.	30.09.2019	12,42,057
		September-2019	By the 15 th of the following month.	05.11.2019	3,97,224
		October-2019	By the 15 th of the following month.	28.11.2019	3,00,240
		November-2019	By the 15 th of the following month.	31.12.2019	3,19,754
4.	ISBM University	August-2019	By the 15 th of the following month.	26.09.2019	81,383
		December-2019	By the 15 th of the following month.	20.01.2020	69,268
5.	O.P. Jindal University	March-2018	By the 15 th of the following month.	17.07.2019	65,079
6.	ITM University	April-2019 to June-2019	By the 15 th of the following month.	18.09.2019	2,41,136
7.	MATS University	April-2019 to July-2019	By the 15 th of the following month.	13.09.2019	4,95,846
		August-2019 to September-2019	By the 15 th of the following month.	15.11.2019	3,68,641
		November-	By the 15 th of the	02.01.2020	5,02,188



		2019	following month.		
		October-2018	By the 15 th of the following month.	10.04.2019	1,46,577
		November-2018	By the 15 th of the following month.	26.07.2019	4,46,649
		December-2018	By the 15 th of the following month.	06.08.2019	1,22,184
		January-2019	By the 15 th of the following month.	28.08.2019	99,156
		February-2019	By the 15 th of the following month.	28.08.2019	58,835
8.	C.V. Raman University	For the period 2015-16 to 2018-19	By the 15 th of the following month.	26.09.2019	2,74,000
		September-2019 to October-2019	By the 15 th of the following month.	02.12.2019	9,82,356
9.	Dev Sanskriti University	September-2019	By the 15 th of the following month.	04.11.2019	5,005
10.	Rawatpura Sarkar University	For the period Oct-2018 to Mar 2019	By the 15 th of the following month.	04.11.2019	1,09,694

It can be seen from the aforesaid table above that no uniform practice is being followed by the Universities which are affiliated with the AYOG. In some of the cases the University is sending the details for a particular quarter and some time it is stretching to more than a quarter, whereas the stipulation is that they are supposed to submit the amount on monthly basis within 15 days from the end of the following Month in which the fees have been received.

- iii). As per Section 12 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005, one per cent of the fees collected from students under clause (a), shall be deposited through bank draft/banker's cheque with the Regulatory Commission within 15 days of the month succeeding to the month in which such fees are received. If Private University fails to deposit fees within stipulated period then it shall be liable to pay such fee with penal interest at the rate of 1.5% for every 30 days. It is observed during the audit that none of the university is paying interest on the delay with reference to monthly periodicity. As against that the university concerned is paying penal interest based on their yearly fees. It is also been observed that whatever amount is remitted by the affiliated University, is being deposited in the designated account without any kind of cross verification. It is suggested to obtain necessary certificate from Chartered Accountant in respect of the authenticity & accuracy of the amount; that would further enhance the reliability.
- iv). An amount of Rs. 10,000/- was given on 18.11.2016 to PWD, Raipur for Mini Conference Hall for conducting meeting, however it was cancelled and this amount has not been received back.



- v). We invite attention to note no. B(ii) of Notes and Accounts. AYOG is following cash method of accounting and yet it has recognized receivable in respect of excess salary paid in earlier years with corresponding effect to its reserves & surplus. The accounting followed has resulted in to over statement in current assets by Rs. 9,58,864/- and equal amount in reserve & Surplus account.
- (g) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet and the Income and Expenditure account read together with the notes thereon, but subject to para (f) above give the information required, in the manner so required and give a true and fair view:
- (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Ayog as at 31st March, 2020, and
 - (ii) In the case of Income and Expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 005408C



[SUMIT LUNIA]
PARTNER
M.NO. 419856
UDIN: 20419856 A A A A N 4639

PLACE: RAIPUR
DATE: 13.08.2020

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH 2020

Address: 29/776, Plot No. 5, Block-3, Shanti Nagar RAIPUR - 492001 Chhattisgarh

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT(Rs.) 31.03.2020	AMOUNT(Rs.) 31.03.2019
SOURCES OF FUNDS:			
CAPITAL FUND:			
Reserve & Surplus	"A"	22,67,94,574	22,50,33,389
T-O-T-A-L :-		22,67,94,574	22,50,33,389
APPLICATION OF FUNDS:			
FIXED ASSETS:	"B"		
Opening W.D.V.		18,89,085	22,44,601
Add: Addition during the year		6,42,033	-
Less: Depreciation during the year		3,83,663	3,55,516
Closing W.D.V.		21,47,455	18,89,085
Capital-Work-In-Progress		7,39,79,039	4,06,88,027
		7,61,26,494	4,25,77,112
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES:			
Cash & Bank balances	"C"	55,04,416	90,40,778
Investments in fixed deposit receipts	"D"	51,61,89,719	54,82,87,551
Deposits & Advances	"E"	55,82,987	11,27,948
		52,72,77,122	55,84,56,277
LESS: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS:	"F"		
Net Current Assets		37,66,09,042	37,60,00,000
T-O-T-A-L :-		15,06,68,080	18,24,56,277
		22,67,94,574	22,50,33,389
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account	"G"		

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA

VINAYAMAKA YOG

For CHHATTISGARH NIJI

VISHWAVIDYALAYA VINYAMAK AYOG

S. V. Shukla
(Dr. Shiv Varan Shukla)
[Chairman] Chairman

(K.K. Chandrakar)
[SECRET] M&A

DATE : 13.08.2020

PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REG. NO. 448-508C



[SUMIT LUN
PARTNER
M NO 410856

DATE : 13.08.2020

PLACE: RAJPUR

UDIN: 38419856 A A A B A N 4629

CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2020

Address: 29/776, Plot No. 5, Block-3, Shanti Nagar RAIPUR - 492001 Chhattisgarh

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT (Rs.) 31.03.2020	AMOUNT (Rs.) 31.03.2019
I-N-C-O-M-E :			
Interest from FDR		2,94,43,725	3,43,45,024
Interest from Banks		8,55,917	1,41,36,745
Income Incidental / Auxiliary objects		500	2,000
Interest on IT Refund		37,913	-
	TOTAL (A)	3,03,38,055	4,84,83,769
E-X-P-E-N-D-I-T-U-R-E :			
Staff salary		1,08,65,448	96,51,768
Remuneration to Auditor		-	23,600
Telephone expenses		29,972	54,785
Rent A/c		4,14,189	4,04,088
Electricity charges		75,590	76,340
Travelling and Conveyance expenses		12,062	6,760
Depreciation & Amortisation		3,83,663	3,55,516
Office expenses		94,069	44,074
Interest on Endowment Fund		1,70,00,000	91,00,000
Appeal Fees		1,000	-
Bank charges		732	2,525
Repair and Maintenance (P&M)		1,17,324	56,165
Printing & Stationery expenses		99,255	40,894
Sitting fees		1,01,000	43,000
Legal & Professional expenses		1,14,000	2,12,020
Locker Rent		1,475	-
Medical Reimbursement		90,001	4,19,610
Advertisement & Publicity		-	30,388
Diesel Expenses		1,35,955	1,72,997
	TOTAL (B)	2,95,35,734	2,06,94,531
Excess of Income over Expenditure (A - B)		8,02,321	2,77,89,238
Net Surplus Carried to Balance Sheet			
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and	"G"	8,02,321	2,77,89,238

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA
VINAYAMAK AYOG

For CHHATTISGARH NIJI
VISHVAVIDYALAYA VINIYAMAK AYOG

[Dr. Arvind Shukla]
I/c, Chairman

[Rajeshwar Kar]
Secretary

DATE : 13.08.2020
PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REG. NO. 06419856

CHARTERED ACCOUNTANTS

BATRA DEEPAK & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

SUMIT LUNIA PARTNER

M.NO 419856

UDIN: 20419856AAAAAN4639

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2020

PARTICULARS	AS AT 31.03.2020	AS AT 31.03.2019
SCHEDULE - "A"		
RESERVES & SURPLUS:		
Opening Balance	22,50,33,389	19,72,44,150
Add : Surplus/(Deficit)	8,02,321	2,77,89,238
Add : Excess Salary to be Recovered from Employees	9,58,864	-
T-O-T-A-L :-	22,67,94,574	22,50,33,389
SCHEDULE - "C"		
CASH AND BANK BALANCE:		
Petty Cash (As certified by Management)	5,573	30,000
Bank Balances :		
(a) Balance with Union Bank of India	14,73,446	7,40,799
(b) Balance With Central Bank Of India	40,25,398	52,69,979
(c) Auto Sweep Account with Union Bank of India	-	30,00,000
T-O-T-A-L :-	55,04,416	90,40,778
SCHEDULE - "D"		
INVESTMENTS IN FDR(s):		
(a) Fixed Deposits with Union Bank of India	51,61,89,719	54,82,87,551
T-O-T-A-L :-	51,61,89,719	54,82,87,551
SCHEDULE - "E"		
DEPOSITS & ADVANCES		
(a) TDS Receivable (A.Y 2007-08)	85,617	85,617
(b) Deposit for rent	45,000	45,000
(c) Deposit for telephone	1,402	1,402
(d) Advance to PWD for Mini Conference	10,000	10,000
(e) Mr Barun Ganda- Excess Salary Receivable	1,51,183	-
(f) Mr Ramji Dwivedi -Excess Salary Receivable	4,96,733	-
(g) Mrs Rekha Rani Kannowjiya-Excess Salary Receivable	2,63,004	-
(h) TDS Receivable (2017-2018)	-	9,47,917
(i) IT Refund Receivable AY 2019-20	38,012	38,012
(j) IT Paid for AY 2017-18 Assessment (Disputed)	44,92,036	-
T-O-T-A-L :-	55,82,987	11,27,948
SCHEDULE - "F"		
CURRENT LIABILITIES & PROVISION		
(a) Endowment fund	37,60,00,000	37,60,00,000
(b) Fees to be deposited in Treasury	6,06,542	(0)
(c) Mr. Vikas Verma	2,500	-
T-O-T-A-L :-	37,66,09,042	37,60,00,000



CHHATTISGARH NII VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
SCHEDULE "B" DETAILS OF FIXED ASSETS

PARTICULARS	RATE	W.D.V. AS ON 1-04-19	ADDITIONS		TOTAL	TOTAL DEPRECIATION	W.D.V. AS ON 31.03.2020
			MORE THAN 180 DAYS	LESS THAN 180 DAYS			
Furniture & Fixtures	10%	3,57,013	-	13,499	3,70,512	36,376	3,34,136
Office Equipments	15%	1,02,103	-	-	1,02,103	15,315	86,788
Computers	40%	88,919	-	-	88,919	35,568	53,351
Printers	40%	3,866	-	-	3,866	1,546	2,320
Air Conditioner	15%	1,35,345	-	-	1,35,345	20,302	1,15,043
Car	15%	12,01,839	-	-	12,01,839	1,80,276	10,21,563
Cooler Machine	15%	-	4,000	-	4,000	600	3,400
Maruti D'zire Car	30%	-	-	6,24,534	6,24,534	93,680	5,30,854
TOTAL		18,89,085	4,000	6,38,033	25,31,118	3,83,663	21,47,455
Work in Progress							
Office Building at Naya Raipur Sec-24	15%	4,06,88,027	1,80,91,012	-	5,87,79,039	-	5,87,79,039
Interior & Furniture WIP	15%	-	1,52,00,000	-	1,52,00,000	-	1,52,00,000
TOTAL		4,06,88,027	3,32,91,012	-	7,39,79,039	-	7,39,79,039



CHHATTISGARH NIJI VISHWA VIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**SCHEDULE - "G" SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS****A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:****1. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT:**

These accounts have been prepared under the historical cost convention on the basis of a going concern, with revenues earned and expenses actually paid i.e. cash method of accounting. The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and provisions of the statute have been followed.

2. FIXED ASSETS:

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of acquisition of fixed assets is inclusive of all expenses.

3. DEPRECIATION:

The entity has provided for depreciation as per rates prescribed under the Income Tax Act 1961.

4. CONTINGENT LIABILITIES:

- (i) Contingent liabilities have not provided for in the books of accounts and are shown separately in the "Notes to Accounts". The liability of Rs. 1,80,24,167/- towards interest due on endowment fund payable to such depositors has not been accounted for in books of accounts as the same would be accounted on payment basis

B. NOTES TO ACCOUNTS:

- (i) Figures of the previous year have been re-arranged/re-grouped wherever considered necessary so as to make them comparable with current year's figures.
- (ii) Based on interpretation available with AYOG, increased yearly increment salary and consequential contribution towards contributory pension scheme (CPPS) to some of the persons was paid during 01/01/2016 to 31/12/2019. This was booked as salary expense of the respective financial year in which it was paid. However during FY 2019-20 directions were received from the State Government that such increment in salary was wrongly calculated and accordingly a sum of Rs. 10,71,722/- became recoverable from following persons:-

S. No.	Name	Salary (Rs.)	CPS portion (Recovered Immediately from CPS A/c)	Difference recoverable in 40 equal Installment
1	Mr. Ramji Dwivedi	5,84,464/-	61,587/-	5,22,877/-
2	Mrs. Rekha Rani Kannojiya	3,09,416/-	32,570/-	2,76,846/-
3	Mr. Barun Gonda	1,77,842/-	18,701/-	1,59,141/-
Total		10,71,722/-	1,12,858/-	9,58,864/-



The amount of CPS i.e. Rs. 1,12,858/- has been recovered and has been reflected in the books of account as recovery of CPS contribution.

The AYOG in its meeting no. 112/2020 dated 25/02/2020 (Point No. 3 of the proceedings of the meeting) decided to recover the remaining amount of Rs. 9,58,864/- from above persons in 40 equal monthly installments starting from February 2020 and ending with May 2023. In the books of accounts separate receivable accounts of excess salary paid have been made of Rs. 9,58,864/- and the corresponding entry have been passed with reserve and surplus account. Accordingly the amount so recovered in a particular month is being accounted with adjustment with the salary expense and the reserve & surplus account.

(iii) Contingent Liabilities:


Estimated amount of Contingent liability remaining to be executed: Rs.1,80,24,167/-


- (iv) Tax Provision:** - The AYOG is a body enacted under a separate enactment. It is constituted to regulate the conduct of private sector universities in the state of Chhattisgarh. It is also designated agency for allowing set up of any private university in the state of Chhattisgarh. In view of which it fulfills the criteria stipulated under section 10(46) of the I.T Act for getting full exemption of its income/surplus. Apart From this, AYOG has already been approved for exemption under other applicable sections of the IT Act. AYOG has been recognizing the refund of Endowment funds as its application of surplus and therefore does not have taxable income accordingly it has not made any provision of income tax in its books of account.
- (v)** Cash-in-Hand have been taken as certified by the management.
- (vi)** Parties' balances are subject to confirmations.

SIGNATURES TO SCHEDULES "A" TO "G"

For, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA

VINYAMAK AYOG
CHHATTISGARH NIJI
VISHWAVIDYALAYA VINYAMAK AYOG


(Dr. Shiv Varan Shukla)
I/c, Chairman


(K.K. Chandrakar)
Secretary

[CHAIRMAN]

[SECRETARY]

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REG. NO. 005408C



[SUMIT LUNIA]

PARTNER

M.NO. 419856

UDIN: 20419856AAAAAN4639

DATE: 13.08.2020

PLACE: RAIPUR

DATE: 13.08.2020

PLACE: RAIPUR

आप विश्वविद्यालय में सभ्य, सुसंस्कृत
और शिक्षित होने आए हैं, अस्तु -

याद रखें, रैगिंग
दण्डनीय अपराध है -
अपने उज्ज्वल
भविष्य का
निर्माण स्वयं करें।



रैगिंग एक अमानवीय व्यवहार

रैगिंग होने की स्थिति में शिकायत करें-



शैक्षणिक संस्था प्रमुख
शैक्षणिक संस्था की एन्टी रैगिंग कमेटी
पुलिस कंट्रोल रुम नम्बर 100

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर 492007

दूरभाष : 00771 - 4902939, 4902940

Email:cgpurc18@gmail.com, Website:www.cgpurc.in